पत्रांक : 69 / 11 रा.
दिनांक : 01.08.2011

प्रेषक :
lj;w jk;]
402, लोटस अपार्टमेंट
डोरण्डा, राँची।

सेवा में,
ekuuh; eq[;ea=h
झारखंड सरकार, राँची।

fo"k; % राँची के लिए समेकित सिवरेज ड्रेनेज योजना का डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मेनहर्ट परामर्शी की योग्यता के मूल्यांकन में बरती गई अनियमिताओं के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में मेरे द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई एक सूचना के क्रम में नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जो सूचना मुझे आज डाक द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। इसकी छाया प्रति संलग्न है (अनुलग्नक–1)। इसके पूर्व 9 अप्रैल, 2008 को चार अभियंता प्रमुखों एवं एक मुख्य अभियंता की समिति ने एक जांच प्रतिवेदन सचिव, नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार को भेजा था, इसकी छाया प्रति भी संलग्न है (अनुलग्नक–2)। दोनों ही अनुलग्नकों में अंकित विवरण स्वतः स्पष्ट है। मेरे इस पत्र के अनुलग्नक–1 के अंत में एक अनुलग्नक–।।। है, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के निर्देश पर तकनीकी परीक्षक कोषांग का मंतव्य विस्तृत प्रतिवेदन के रूप में संलग्न है। इस प्रतिवेदन से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है।

इसके अतिरिक्त अन्य ढेर सारे तथ्य प्रासंगिक संचिका में विद्यमान हैं, जिसे सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगने पर मुझे पता नहीं किस कारण से उपलब्ध नहीं कराया गया। विगत एक माह से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि झारखंड सरकार ने उपर्युक्त विषय में मेनहर्ट परामर्शी को क्लीन चिट दे दिया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर विकास विभाग परामर्शी को भुगतान करने के लिए आतुर है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कुछ हजार रुपये का भुगतान करने के मामले में अगर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भुगतान कर देने के लिए आता है, तो सरकार उसके विरुद्ध अपील करती है। अगर इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों में अंकित विवरण जायज है, तो प्रश्न उठता है कि राज्य सरकार ने मुकदमा के दौरान इसे माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया है या नहीं?

झारखंड विधानसभा की एक समिति के संयोजक के नाते इस बारे में मैंने जो सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया था, उसमें वर्णित तथ्यों की पुष्टि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के निर्देश पर तकनीकी परीक्षक कोषांग के प्रतिवेदन, जो अनुलग्नक–1 के अंत में है, से हो जाती है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ ताकि राज्य सरकार इस विषय में सही निर्णय पर पहुँच सके।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼lj;w jk;½

प्रतिलिपि :

1. मा. प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, झारखंड
2. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची
3. नगर विकास सचिव, झारखंड सरकार, राँची

¼lj;w jk;½